न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—362/2016/223 (2016/00362)

1. अमरचंद पुत्र नारायण, जाति भाम्बी, नि0 ग्राम सराधना, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. आत्माराम पुत्र नारायण, जाति भाम्बी, नि0 ग्राम सराधना, तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 30.10.2007 अंतर्गत वाद संख्या 43/2001.

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय एव डिक्री दिनांक 30.10.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 18.7.1965 को वादी के पिता नारायण पुत्र धूला, जाति भाम्बी को हाल खसरा नबर 2465 में से 8 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसके नये खसरा नंबर 2750 व 2768 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 3 बीघा 5 बिस्वा बने है । आवंटन के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया कि मौके पर जाकर उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट के पिता नारायण को संभलाया जावे । उक्त आवंटन के पश्चात् से अपीलांट के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलांट बतौर खातेदार काश्तकार काबिजह होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपीलांट द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही कर अपीलांट के पिता एवं उनकी मृत्यु के उपरांत अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज नहीं किया गया जिससे आज भी राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज चली आ रही है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा गैर कानूनी मानते हुए धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही के नोटिस दिये गये है जो कतई विधि विरूद्ध है । अतः वादी का वाद स्वीकार कर

वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2007 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलांट के पिता स्व0 नारायण के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 18.7.1965 कभी भी निरस्त नहीं किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था तथा आवंटन की दिनांक से ही स्व0 नारायण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के उपरांत अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का जो विवेचन किया है वह कतई गलत है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिन्दू पर गौर नहीं किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्ण कार्यवाही करते हुए आवंटन की समस्त शर्तो की पालना करने के बाद भी वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदारी दर्ज नहीं किया गया । वादी के कब्जे काश्त की पुष्टि मौखिक बयानों एवं खसरा गिरदावरियों से होती है। बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के पिता के पक्ष में हुआ आवंटन निरस्त नहीं किया गया है तथा इसके अभाव में वादी का वाद भी निरस्त नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर वाद को खारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की अपीलांट को कोई जानकारी नही थी । अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.8.2016 को तब हुई जब अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा प्रार्थी को बेदखल का नोटिस दिया गया तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण की जानकारी की एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर अच्छा हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये वरन् गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये। । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक आराजियात है जिस पर अपीलांट का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से ही माना जावेगा । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2465 रकबा 8 बीघा का आवंटन उसके स्व0 पिता नारायण को दिनांक 18.7.1965 को की जाकर कब्जा काश्त संभलाया गया था किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आवंटन का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध एक्जी पी–1 आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1965 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता नारायण को भूमिहीन काश्तकार होने से ग्राम सराधना के खसरा नंबर 2465 में 8 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है । उक्त आवंटन आदेश में अध्यक्ष आवंटन कमेटी ने पटवारी हल्का को आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को संभलाने के निर्देश भी दिये है । अपीलांट का कथन रहा है कि आवंटन के पश्चात् आवंटित भूमि पर उसके पिता स्व0 नारायण का एवं उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज है। अपीलांट के पिता को हुआ आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1965 आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की पालना नहीं किये जाने से सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है अथवा नहीं तथा इस संबंध में अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है । यह जांच का विषय है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस संबंध में किसी प्रकार की जांच किये बिना वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जात है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2007 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस तथ्य की जांच करे कि क्या अपीलांट के पिता को हुआ आवंटन आदेश दिनांक 18.7.1965 आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की पालना नहीं किये जाने से सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है अथवा नहीं तत्पश्चात् अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को नवीन सिरे से निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।